(120)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

R 2623-II/14

प्र.क्र /निगरानी 13/14

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र ऊधम सिह रघुवंशी
2. देबेन्द्र सिह पुत्र ऊधम सिह रघुवंशी

निवासीगण ग्राम मलावनी तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

————————निगरानी कर्ता

वनाम

मध्यप्रदेश शासन

————————प्रतिनिगरानी कर्ता

निगरानी अधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.1959 विरूध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर के प्र0क्र0 523 नि. 2009--10 में पारित आदेश दिनांक 27/08/10 के विरूद्ध।

आदरणीय महोदय,

सेवा में सादर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

मामले का संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि ग्राम मलावनी स्थित भूमि सर्वे क्र. 240/2 रकवा 1.986 हेक्टयर भूमि के भूमि स्वामी आवेदकगण है इसी भूमि से लगा हुआ सर्वे क्रमांक 240/1 रकवा 2.000 हेक्टयर शासकीय कदीम भूमि लगी हुई थी जिसमें से 0.500 हेक्टयर पर आवेदक क्रमांक 1 व 0 500 हेक्टयर पर आवेदक क्रमांक 2 का कब्जा करीव 30 वर्ष से चला आ रहा है जिस कारण शासकीय निर्देशानुसार एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र की कण्डिका 4(3) के प्रावधानों के मुताविक उक्त भूमि माननीय तहसीलदार महोदय के प्र0क्र0 160 अ19/89–90 आदेश दिनांक 08/10/90 से उक्त भूमि का व्यवस्थापन विधिवत जांच कर आवेदक को किय गया है।
2. यह कि उक्त व्यवस्थापन किये जाने में कभी किसी को आपत्ती नही रही किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी म लेकर प्र0क्र0 523/97–98 स्व.निग. आदेश दिनांक 29/06/99 से आवेदक को किय गया व्यवस्थापन निरस्त करते हुये तहसीलदार महोदय का आदेश दिनांक 08/10/9 निरस्त कर दिया गया जिसमें आवेदक को सुनवाई का भी कोई अवसर नही दिया गया।
3. यह कि अधीनस्थ अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अधिनस्थ श्रीमान अपर आयुक्त महोदय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क्र. 523/09–1 निगरानी पर दर्ज होकर दिनांक 27/08/10 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त करदी गई जिसमें कलेक्टर महोदय का आदेश यथावत रखा गया जिसमें आवेदक क

Ix(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2623–दो/2014 निगरानी जिला अशोकनगर

दिनांक तथा क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.7.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 523/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 27–8–2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिनॉक 20–8–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया । उन्होंने बताया कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक नियुक्त किया था किन्तु मेरे अभिभाषक ने मुझे कोई सूचना नहीं दी एंव आवेदक यह समझता रहा कि प्रकरण चल रहा है एंव कोई आदेश नही हुआ है किन्तु पटवारी ने दिनांक 10–8–14 को सूचना दी कि सर्वे कमांक 240/1 का व्यवस्थापन आयुक्त व्दारा निरस्त कर दिया गया है, तब ग्वालियर पहुंचकर 14–8–14 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन दिया, उसी प्रतिलिपि प्राप्त करके अभिभाषक से संपर्क कर जानकारी के दिन से निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से पाया गया कि जब आवेदक की ओर से प्रकरण में अभिभाषक नियुक्त है एंव अभिभाषक को आदेश की जानकारी समय पर है तब यही मांना जावेगा कि आवेदक को आदेश की जानकारी यथासमय है । पटवारी से जानकारी प्राप्त होने के तथ्य पर पुष्टिकरण में पटवारी का हलफनामा आदि भी नहीं दिया है जिसके कारण बताये गये तथ्य अविश्वसनीय है। अतएव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनॉक 27–8–10 के विरूद्ध दिनांक 20–8–14 को प्रस्तुत निगरानी लगभग चार वर्ष के अंतर से होने के कारण समय वाह्य है जो निरस्त की जाती है। सदस्य	